राजस्थान सरकार
आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग

क्रमांकः प.11(12)आयु./2013 पार्ट दिनांक 01.07.2013

विज्ञापन संख्या 4/ 2013

आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति

राजस्थान आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा सेवा नियम, 1973 एवं द्वितीय संशोधित नियम 2013 के अन्तर्गत इस विभाग के अधीन आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों के निम्न पदों पर नियमित नियुक्ति के लिये सीधी भर्ती हेतु उक्त नियमों में उल्लेखित योग्यताधारी अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। ये आवेदन पत्र डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर की वेबसाईट www.dsrrau.org पर **दिनांक 05.07.2013 प्रातः 10.00 बजे** से ऑनलाइन भरे जा सकते है।

क.सं.	पदनाम	कुल रिक्त पदो की संख्या	सामान्य संवर्ग			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			अन्य पिछडा संवर्ग			विशेष पिछडा संवर्ग			निः शक्तजन
			सामान्य	महिला	योग	सामान्य	महिला	योग	सामान्य	महिला	योग	सामान्य	महिला	योग	सामान्य	महिला	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	आयुर्वेद चिकित्साधिकारी	400	140	60	200	45	19	64	34	14	48	59	25	84	3	1	4	12

नोटः– उपरोक्त पदों में कमी अथवा वृद्धि किये जाने हेतु विभाग स्वतंत्र रहेगा।

आवेदन शुल्कः– सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग क्रिमीलेयर के अभ्यथियों के लिये रु.2,500/– (अक्षरे रूपये दो हजार पॉच सौं मात्र)। अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रिमीलेयर), अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्तजन के अभ्यर्थियों के लिए रु 1,250/– (अक्षरे रूपये एक हजार दो सौ पचास मात्र) (केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासी के लिये)। परीक्षा शुल्क वेबसाइट पर उपलब्ध चालान के द्वारा भारत की किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में NEFT (National Electronic Fund Transfer) के माध्यम से नकद, चैक या नेट बैंकिंग की सुविधा से विश्वविद्यालय के खाते में जमा कराया जा सकता है।

आरक्षणः– विज्ञापित उक्त पदों की रिक्तियों में आरक्षण राजस्थान सरकार के नियमानुसार देय होगा।

पद का वेतनमान 15600–39100 (पी.बी. –3) ग्रेड पे 5400 (15) चयनित अभ्यर्थियों को दो वर्ष के प्रोबेशनकाल में 16,800/–रू. नियत पारिश्रमिक देय होगा एवं दिनांक 1 जनवरी, 2004 से निर्धारित की गई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

शैक्षणिक योग्यताः– भारत में विधि द्वारा स्थापित एवं भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के अधीन मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में स्नातक उपाधि। अभ्यर्थी को भारत सरकार के Central Council of Indian Medicine द्वारा प्राधिकृत स्टेट इंडियन मेडिसिन

बोर्ड/काउंसिल में रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। (आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक इंडियन मेडिसिन बोर्ड राजस्थान, जयपुर में रजिस्टर्ड होना आवश्यक है)। देवनागरी लिपी में लिखी हिन्दी का व्यवहारिक ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान।

आयुः– आयु सीमा दिनांक **1 जनवरी, 2014** को न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आयु सीमा में छूट सम्बन्धी प्रावधान लागू होगें।

आवेदन की अन्तिम तिथि – ऑनलाईन आवेदन पत्र **दिनांक 05.08.2013 को मध्य रात्रि 12.00** बजे तक भरे जा सकेंगे। इसके उपरान्त ऑनलाईन लिंक स्वत ही निष्क्रिय हो जायेगा। विभाग द्वारा हाथ से भरे गये फार्म किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किये जायेगें।

चयन का आधार :– राजस्थान आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा सेवा नियम, 1973 एवं द्वितीय संशोधित नियम 2013 के नियम 19 एवं तद्न्तर्गत जारी आदेश क्रमांक प.10(11) आयु /2012 पार्ट II दिनांक 28.05.2013 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार मेरिट सूची तैयार करने के लिए राज्य सरकार, एन.आर.एच.एम., मुख्यमंत्री बी.पी.एल. योजना के तहत् आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के पद पर कार्य के अनुभव की अवधि के आधार पर अधिकतम 30 प्रतिशत वेटेज बोनस अंकों के दिये जावेगें तथा 70 प्रतिशत वेटेज अभ्यर्थी द्वारा उक्त नियमों के संलग्न अनुसूची में वर्णित अर्हक परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत को दिया जायेगा।

भर्ती से सम्बन्धित शेष दिशानिर्देश एवं शर्ते डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर की वेबसाईट www.dsrrau.org पर उपलब्ध होगें।

(शैलेन्द्र श्रीमाली)
संयुक्त शासन सचिव